कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1697 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 03 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री कंवलजीत सिंह
पुत्र श्री अमरजीत सिंह, जेल रोड़ हल्द्वानी
जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–518/रा0नि0आ0–1/2594/2019 दिनांक 02 अप्रैल, 2019 के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 23 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता संबंधी सूचना चाही गयी है। वांछित ~~सूचनाओं~~ सूचनायें इस कार्यालय में धारित नही है। अतः उक्त सूचना दी जानी सम्भव नही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

प्राप्त-2/4/19

सूचना का अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 518 /रा0नि0आ0–1/2594/2019 दिनांक 02 अप्रैल, 2019

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री कंवलजीत सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह, जेल रोड, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड का सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 23.03.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 01.04.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध–पत्र में चाही गयी सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

02/4/19

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2594/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपि:– श्री कंवलजीत सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह, जेल रोड, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

पत्रावली-423

2594

सेवा मे,

श्रीमान लोकसूचना अधिकारी महोदय,

कार्यालय :

1. श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी, नैनीताल लोकसभा क्षेत्र
2. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल
3. श्रीमान सिटी-मैजिस्ट्रेट महोदय, हल्द्वानी
4. श्रीमान चन्द्र शेखर भट्ट (राज्य-निर्वाचन आयुक्त)
   निर्वाचन-भवन, लाडपुर, मसूरी बाइपास रोड, देहरादून
5. श्रीमान लोक-सूचना आयुक्त,
   आर० टी० आई० भवन, मसूरी-बाइपास , रिंग-रोड, लाडपुर देहरादून
   email secy-uic@gov.in
6. श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड
   पुलिस-मुख्यालय, 12 सुभाष रोड देहारादून
7. श्रीमान मुख्य चुनाव आयुक्त
   नई-दिल्ली
8. श्रीमान उप-जिलाधिकारी/विहित-प्राधिकारी महोदय,
   हल्द्वानी जिला-नैनीताल ।
9. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला नैनीताल
10. श्रीमान थाना-अध्यक्ष/प्रभारीनिरीक्षक महोदय
   थाना-हल्द्वानी

1781/31/PS/19

(चन्द्र शेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड

अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रार्थना-पत्र

महोदय,

प्रार्थी आपके समक्ष निम्न आवेदन प्रस्तुत कर रहा है –

आवेदक का पूरा नाम ओर पता :- कंवलजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह

पता:- जेल रोड, हल्द्वानी, जिला: नैनीताल, उत्तराखंड फोन नम्बर:- 9837947132 email-kawaljeet.com30@gmail.com

संदर्भ- चुनाव-आयोग द्वारा नियत लोकसभा चुनाव 2019 कार्यक्रम के लिए चुनावी-आचार-संहिता लागू की गई है जिसके तहत किसी भी राजनैतिक-दल को धार्मिक-स्थलो मे मत के लिए किसी भी रीति से प्रचार करने पर रोक है । किन्तु सिख संगत के कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने राजनैतिक-दल के आकाओ से धन के लोभ मे गैरकानूनी रूप से सिखों की संस्था "सिख गुरु-द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी" मे बैठक करने वास्ते whattsapp के जरिये सूचना प्रसारित की है। whattsapp से प्रसारित सूचना से प्रेरित होकर भारी-संख्या मे सिख समाज के

Received 160 13 10/2
12-4-19

लोगो द्वारा बैठक मे भाग लेने से धार्मिक-स्थलों की पवित्रता एवं गरिमा की सुरक्षा के लिए उपाए किए जाने वास्ते तथा आचार-संहिता के उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के आशय से आपके कार्यालय को दो पत्र प्रेषित किया गए है जो संलग्नक :1 व 2 है ।

उपरोक्त के संबन्ध मे निम्नलिखित सुचनाए वांछित है :-

1) सिखों की संस्था "सिख गुरु-द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी" मे राजनैतिक बैठक आयोजित होने की सूचना के संबंध मे प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर की गयी कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने की कृपा करे।
2) सिखों की संस्था "सिख गुरु-द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी" के सभागार मे दिनाँक 23/03/2019 की सुबह 8:15 से आरंभ होकर 10:00 बजे तक सम्पन्न हुई बैठक के संबंध जो कोई विवरण उपलभ्द हो को प्रदान करने की कृपा करे।
3) सिखों की संस्था "सिख गुरु-द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी" के परिसर मे 23/03/2019 को आयोजित की गयी बैठक के संबंध मे whattsapp पर सूचना प्रसारित करने वाले ग्रुपो तथा सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्रदान करे।
4) भारतीय चुनाव-आयोग द्वारा जारी किए गए आचार-संहिता (Model Code of Conduct) का उल्लंघन होने की उक्त सूचना पर "सिख गुरु-द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी" मे जाँच/निरीक्षण करने का समय एवं निरीक्षण करने वाले अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों की जानकारी प्रदान करे।
5) "सिख गुरु-द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी" मे दिनाँक 23/03/2019 को बैठक के आयोजन के संबंध मे कोई आवेदन तथा उसके अनुरूप कोई अनुमति प्रदान की गई हो तो संबन्धित दस्तावेज़ उपलभ्द करने की कृपा करे।
6) प्रार्थी द्वारा आचार-संहिता के उलंघन के प्रकरण की जाँच / निरीक्षण का समय, निरीक्षण करने वाले चुनाव-अधिकारियों का विवरण, निरीक्षण के दौरान उपस्थित सुरक्षा कर्मियों का विवरण तथा निरीक्षण के दौरान तैयार की गई audio व video रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति का विवरण प्रदान करे।
7) आचार-संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन के प्रकरण के संबंध मे जाँच / निरीक्षण के समय audio व video रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान है तो उक्त प्रावधान की जानकारी प्रदान करे।
8) लोकसभा चुनाव 2019 मे सतर्कता एवं निगरानी हेतु कुल कितने व्यक्तियों को audio व video रिकॉर्डिंग हेतु दायित्व प्रदान किया गया है, उक्त की विस्तृत जानकारी प्रदान करे।
9) प्रार्थी द्वारा दीगई सूचना पर "सिख गुरु-द्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी" के परिसर मे निरीक्षण के दौरान बनाई गयी audio व video रिकॉर्डिंग की प्रति (C.D) उपलब्ध कराने की कृपा करे ।

उपरोक्त सूचना भारतीय-लोकतंत्र के सर्वोच्च पर्व यानि जनप्रतिनिधि के चुनाव के संबंध मे चुनाव-आयोग द्वारा जारी Model Code of Conduct 2019 जारी किया गया है जिसमे CHAPTER-3 ENFORCEMENT OF MODEL CODE के 3.8.2 मे उल्लेख है कि “The Election Commission has laid down the following guidelines to be observed in the matter of such campaigns by organizations and persons other than political parties/candidates, during the period when Model Code is in operation. (Annexure-III):-

(i) Nobody should invoke, in any manner, religion or religious grounds in any manner, or any activities likely to create disharmony among different classes or groups of people, in his campaign. Such activities/ statements are prohibited being offences under various provisions of the law, like, Section 125 of the Representation of the People Act, 1951, Sections 153A, 153B, l7lC, 295A and 505(2) of the Indian Penal Code and Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.” इससी के तहत प्राधिकारियो को क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी है जिससे आचार-संहिता का अनुपालन किया जासके। किन्तु प्रार्थी के द्वारा जनहित मे दी गयी सूचना के उपरांत प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी है । उपरोक्त सूचनाए जनहित से जुडी है तथा प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचनाओ के विलंब से प्राप्त होने मे प्रशासनिक-स्तर पर दोषियो को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को चिन्हित होने मे विलम्ब होगा जिससे सम्पूर्ण चुनाव की प्रक्रिया मे भ्रष्ट-आचरण कर्ण वाले लोगो को प्रोत्साहन प्राप्त होगा अतः उपरोक्त सूचना प्रार्थी को 24 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना आवश्यक है ।

1. जमा की गयी फीस का ब्योरा ..10 रु का पोस्टल आर्डर सं० -46F 344580

2. संलग्नको की सूची ....

स्थान:- हल्द्वानी,

दिनांक:- 23/03/2019

आवेदक के हस्ताक्षर

सेवा मे,

1. श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी, नैनीताल लोकसभा क्षेत्र
2. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल
3. सिटी-मैजिस्ट्रेट महोदय, हल्द्वानी
4. श्रीमान चन्द्र शेखर भट्ट (राज्य-निर्वाचित आयुक्त)
   निर्वाचन-भवन, लाडपुर, मसूरी बाइपास रोड, देहरादून फ़ैक्स न० 2671417 , 2670920(सचिव)
5. लोक-सूचना आयुक्त,
   आर० टी० आई० भवन, मसूरी-बाइपास , रिंग-रोड, लाडपुर देहरादून
   email secy-uic@gov.in
6. पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड
   पुलिस-मुख्यालय, 12 सुभाष रोड देहारादून
7. मुख्य चुनाव आयुक्त
   नई-दिल्ली
8. उप-जिलाधिकारी/विहित-प्राधिकारी महोदय,
   हल्द्वानी जिला-नैनीताल।

विषय: निर्वाचन आयोग/अधिकारी की अनुमति के बिना लगभग २००० लोगों को संस्था की आम सभा के बहाने राजनैतिक-गोष्ठी मे सम्मिलित करने के आयोजन पर रोक लगाने वास्ते प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

प्रार्थी सिख संगत की पंजीकृत-संस्था, सिख गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी का सदस्य है इस कारण से संस्था के अंदर राजनैतिक गतिविधियो के संदर्भ मे निम्नलिखित सूचना के धार पर कार्यवाही की प्रार्थना करता है-

1. उपरोक्त संस्था मे वर्तमान मे कोई वैध-कार्यकारिणी नहीं है, इस कारण एक मामला न्यायालय मे विचारधीन है।
2. वर्तमान मे संस्था मे कुछ गिरोह-बंद लोगो द्वारा एक राजनैतिक-पार्टी के क्षेत्रीय नेता का आश्रय लेकर अवैध कब्जा किया हुआ है एवं उन्ही के हस्तक्षेप से कार्यवाही लंबित चलरही है क्योकि उक्त राजनैतिक-पार्टी के क्षेत्रीय नेता के द्वारा संस्था को विधायक-निधि से अवैध-रीति से अनुचित-लाभ लेने वास्ते धन आवंटित कराया गया था जिसमे भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद से जांच लंबित है।

3. उक्त राजनैतिक पार्टी से तालुक रखने वाले सिख संगत के कुछ लोग लोकसभा-चुनाव (2019) मे सिख-वोटरों को प्रभावित करने यानि बरगलने वास्ते अपनी राजनैतिक-पार्टी तथा आकाओ के निर्देश पर , स्वयं उस राजनैतिक-पार्टी का कार्यकर्ता होने की हैसियत से भी धार्मिक-संस्था का मंच बिना अनुमति के तथा गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने पे आमादा है, जिसके संबंध मे उनके द्वारा whattsapp ग्रुप " Haldwani Sikh Sangat " तथा अन्य group मे भी एक संदेश प्रसारित प्रचारित किया जारहा है जो नीचे उद्धरित किया गया है -

- गुरमुखी लिपि मे

"ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 23.3.19 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਸਭਾ ਸਵੇਰੇ 8.15 ਵਜੇ ਗੁ:ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ।ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ।

- हिन्दी मे

"जरूरी सूचना

समूह साध संगत नु बेनती है कि मिति 23.3.19 दिन शनिवार नु सवेरे 8.15 वजे गु:श्री गुरु सिंघ सभा विखे एक आम सभा कीती जा रही है जिस विच गुरद्वारा साहिब दे चुनाव बारे विचार सांझे कीते जानगे।आपजी नु बेनती है कि समय सिर पहुंच के विचार सांझे करो जी। विनती करता :-<u>प्रभंधक कमेटी गुरद्वारा श्री गुरु सिंघ सभा,हल्द्वानी।"</u>

4. चूँकि संस्था के मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं और विगत वर्षो मे भी किसी प्रकार की कोई सभा आहूत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है ऐसे मे बिना निर्वाचनआयोग की अनुमति के सिखों की संस्था के २००० से अधिक सदास्यों को आम सभा की सूचना द्वारा गुमराह कर राजनैतिक बैठक करने का प्रयास किया जारहा है।
5. यह की गुरुद्वारा साहिब के चुनाव के संबंध मे बैठक करने की शक्ति संस्था के किसी भी सदस्य को प्राप्त ही नहीं है। उपरोक्त संदेश के माध्यम से संस्था की बैठक के बहाने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी विशेष के पक्ष में लामबंद किया जाने की कवायद है जिसके लिए बिना अनुमति के राजनैतिक-बैठक आयोजित करने का प्रयास किया गया है।
6. यह की उपरोक्त संस्था की बैठक की आड़ मे आयोजित बैठक यदि सफल रहती है तो उससे आचारसंहिता के उलंघन होगा तथा पार्टी-प्रत्याशी के चुनावी व्यय की गड़ना दोषपूर्ण होगी इस कारण से सिख गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हल्द्वानी मे दिनाँक 23/03/2019 को प्रातः 8:15 बजे आयोजित होने वाली बैठक को रोका जाना आवश्यक है।

7. यह की इतनी अधिक संख्या में धार्मिक मंच से किसी एक राजनैतिक विचारधारा के प्रति सिख युवकों को उकसाने से संगत की संस्था के राजनैतिक इस्तेमाल से मतभेद होने पर लड़ाई झगड़े और ख़ून ख़राबा होने की आशंका है।

अतः माननीय माहोदय से प्रार्थना है कि मामले मे संज्ञान लेकर दिनाँक 23/03/2019 को प्रातः 8:15 बजे आयोजित होने वाली बैठक को रोकने वास्ते प्रभावी उपाए किए जाए तथा आचार-संहिता का उल्लंघन कर छदम तरीके से राजनैतिक-बैठक आयोजित करने के संबंध मे whattsapp के विभिन्न ग्रुपों मे समाचार प्रसारित करने वाले लोगों पर कानून का उलंघन करने के कारण नियमानुसार क़ानूनी कारवाही करने की कृपा करे साथ ही राजनैतिक-पार्टी से भी आयोजन के समस्त व्ययों के लिए स्पष्टीकरण तलब करने की कार्यवाही करने की कृपा करे।

दिनाँक

प्रार्थी

कवलजीत सिंह

स्थान हल्द्वानी

कवलजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह

9837957132

विधि अनुरूप कार्यवाही के अभाव मे प्रार्थी मुख्य-चुनाव-आयुक्त एवं उच्च न्यायालय की सरन मे जाने को विवश होगा , क्रपया सूचना जाने।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ (ਰਜਿ०)

ਹਲਦਵਾਨੀ (ਨੈਨੀਤਾਲ) ਉਤਰਾਖੰਡ-੨੬੩੧੩੯

सिक्ख गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभा (रजि.)

हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड-263139

Ref. No.

Date 17/3/19

Ref No- 05-2019 Dt 116/03/2019 Page 1 of 1

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ/ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ, ਹਲਦਵਾਨੀ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਜੀ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23//03/2019 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਹੈ:

- ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਕ- 23//03/2019 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਸਮਾਂ- ਸਵੇਰੇ 8:15 ਬਜੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ
- ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ- ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
- आम सभा की तारीख- 23/03/2019 दिन शनिवार
- समय- सुबह 8:15 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में
- सभा का एजेंडा- नयी प्रबंधकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विचार

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ

ਦਾਸ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ

(ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ)

Contact Details : 9837605188, 9837225164, 7351430000, 9837172921, 9917066694